प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा मे,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/पी0एम0एस0एम0ए0/134/2018–19/ 6168-2 **दिनांक** 6/7 **09.2018**

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–2019 मे धनराशि के आवंटन एवं सम्बन्धित दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" का प्रदेश में आरम्भ शासनादेश संख्या–30/2016/634/पॉच–9–2016–9 (127)/12 टी0सी0 दिनांक 19 मई 2016 द्वारा किया गया है। इस अभियान के अर्न्तगत प्रत्येक माह की 09 तारीख को समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भ के द्वितीय/तृतीय तिमाही में राजकीय चिकित्सालयों में "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक" का आयोजन कर कम से कम एक बार विशेषज्ञ अथवा एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक की देख–रेख में निःशुल्क प्रसव पूर्व गुणवत्तापरक जाँचों एवं उपचार से आच्छदित किया जा रहा है।

प्रदेश के सभी 75 जनपदों में यह अभियान समस्त ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों एवं जनपदीय महिला चिकित्सालयों व शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मेडिकल कॉलेजों में सम्पादित किया जा रहा है। स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं अन्य प्राइवेट चिकित्सक भी इस अभियान में राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में अपना योगदान दे रहें है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान वित्तीय वर्ष 2018–2019 में अभियान के संचालन हेतु धनराशि के आवंटन एवं संचालन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं–

1. **समस्त गर्भवती महिलाओं को** गर्भ के द्वितीय/तृतीय त्रैमास में कम से कम एक बार एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण एवं उपचार सेवाएं प्रदान की जायें।
2. निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों/चिकित्सकों को हर महीने की 09 तारीख को उनके जिलों में सरकारी चिकित्सकों के प्रयासों के साथ स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।
3. अभियान दिवस पर आयी गर्भवती महिलाओं हेतु बैठनें की व्यवस्था पेयजल तथा जल–पान की व्यवस्था स्वास्थ्य केन्द्रों पर की जायेगी।
4. अभियान दिवस पर आने वाली गर्भवती महिलाओं को ब्लड प्रेशर, वजन की जांच, समस्त आवश्यक खून, एच0आई0वी0 पेशाब, अल्ट्रासाउण्ड तथा पेट की निःशुल्क जाँचें एवं ग्रुप काउन्सलिंग एवं परामर्श प्रदान किया जाये। यदि सम्बन्धित चिकित्सालय पर कोई जाँच उपलब्ध नही है तो उच्च स्तरीय इकाई पर संदर्भित कर निःशुल्क सेवा से आच्छादित करें।
5. गर्भवती महिलाओं को आवश्यकतानुसार निःशुल्क औषधियाँ का वितरण किया जायेगा। समस्त आवश्यक औषधियों की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये। अस्पताल के बाहर से दवायें न मंगायी जाये।
6. पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक में सभी लाभार्थियों को निःशुल्क औषधि एवं डाइग्नोस्टिक सेवायें प्रदान करने के दृष्टिगत चिकित्सालय में ए0एन0सी0 सर्विसेस दे रहे चिकित्सकों को स्वास्थ्य इकाई पर उपलब्ध औषधियों एवं डाइग्नोस्टिक सेवाओं की विस्तृत लिस्ट उपलब्ध करा दी जाये। विशेष परिस्थिति में आवश्यक टेस्ट के लिये जनपद स्तरीय चिकित्सालय में उपलब्ध निःशुल्क डाइग्नोस्टिक सेवाओं की सूची उपलब्ध करा दी जाये ताकि बाहर से औषधि एवं जाँच हेतु न लिखा जाये। केवल आवश्यकतानुसार विशेष निःशुल्क जाँच हेतु जिला स्तरीय इकाई पर संदर्भित किया जाये।
7. प्रथम बार प्रसव पूर्व जाँच कराने आयी गर्भवती महिला का एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर पंजीकरण उसी दिन करना सुनिश्चित करें।

8. गर्भवती महिलाओं एम0सी0पी0 कार्ड भरा जायेगा एवं ए0एन0सी0 रजिस्टर पर अंकन भी किया जायेगा। **जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर** उनके मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड पर **लाल रंग की बिन्दी/एच0आर0पी0 मोहर** लगायी जायें। एच0आर0पी0 महिलाओं का उनके प्रसव की कार्ययोजना सहित रिकॉर्ड स्वास्थ्य इकाई पर सुरक्षित रखा जाये।

9. स्वास्थ्य इकाइयों पर उपलब्ध ए0एन0सी0 रजिस्टर में अभियान के दौरान सेवाये लेने आयी गर्भवती महिलाओं का विस्तृत रिकॉर्ड रखते हुये पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल पर सूचना को अपलोड करने के लिये जनपदीय नोडल अधिकारी को उसी दिन रिपोर्ट का प्रेषण करना सुनिश्चित करें। **प्रत्येक दशा में जनपद की संकलित रिपोर्ट माह की 15 तारीख तक पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल पर अवश्य ही अपलोड कर दी जाये।**

10. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर उमड़ने वाली भीड़ के दृष्टिगत गर्भवती महिलाओं की जाँच, काउन्सलिंग व उपचार आदि के लिये अधिक काउन्टर्स तथा छायादार बैठने के स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। चिकित्सालय में चिकित्सकों लैब टेक्नीशियन्स तथा पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी होने पर समीपस्थ स्वास्थ्य इकाइयों से चिकित्सकों एवं अन्य मानव संसाधन पूल कर पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर सेवायें प्रदान की जाये।

11. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रत्येक जनपद में एक मॉडल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक बनाया जाना प्रस्तावित है। यह मॉडल क्लीनिक प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में परिकल्पित क्लीनिक की तरह होगा जिसे क्रास लर्निंग सेन्टर के रूप में शो केस करने हेतु विकसित किया जाये।

<u>वित्तीय व्यवस्था एवं आवश्यक निर्देश–</u>

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एम0 आर0 संख्या	लक्ष्य / इकाइयाँ	दर	स्वीकृत धनराशि
1.	त्रैमासिक जनपद स्तरीय बैठक	1.1.1.1	75 ×4 बैठक	3000	9,00,000
2.	पी0एम0एस0एम0ए0 के प्रचार–प्रसार हेतु हैंडबिल का मुद्रण एवं वितरण	1.1.1.1	950 स्वास्थ्य इकाई	2000	19,00,000
3.	त्रैमासिक स्वास्थ्य इकाई स्तरीय बैठक	1.1.1.1	950 स्वास्थ्य इकाई×4 बैठक	1000	38,00,000
4.	निजी क्षेत्र के स्वैच्छिक सेवा प्रदाता चिकित्सकों दृारा ग्रामीण स्वास्थ्य इकाई में स्वैच्छिक सेवा प्रदान करने हेतु मोबिलिटी	1.1.1.1	300 सेवा प्रदाता ×12 माह	1000	36,00,000
5.	राज्य स्तरीय **I Pledge for 9 Achievers** अवार्ड वितरण समारोह	1.1.1.1	1	2,50,000	2,50,000
6.	जनपद स्तरीय **I Pledge for 9 Achievers** अवार्ड वितरण समारोह	1.1.1.1	75	40,000	30,00,000
7.	मॉडल क्लीनिक पी0एम0एस0एम0ए0	1.1.1.1	75	2000	18,00,000
	कुल जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि				1,52,50,000

<u>1–प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के व्यापक प्रचार–प्रसार की व्यवस्था–</u>

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता को दृष्टिगत जनपद स्तर पर 04 त्रैमासिक समीक्षा बैठकों हेतु रू0 3000/– की दर से तथा चिन्हित जनपद व ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों (फांट में प्रदर्शित संख्या) पर त्रैमासिक बैठकों हेतु रू0 1000/– की दर से तथा लाभार्थियों को जानकारी देने के लिये दिये जाने वाले हैण्ड बिल्स के मुद्रण एवं वितरण हेतु रू0

2000/– प्रति इकाई की व्यवस्था है।प्रचार प्रसार सामग्री पर पी0एम0एस0एम0ए0 लोगो का प्रयोग अवश्य किया जाये।

सभी बैठकों में आई0एम0ए0,रोटरी,फॉग्सी,लॉयन्स तथा अन्य समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधि एवं सेवा प्रदाताओं को सुझाव एवं सहयोग हेतु आमंत्रित किया जाये। जनपद स्तरीय पी0एम0एस0एम0ए0 समिति के सुझावों पर अमल तथा शिकायतों का निवारण किया जाये। जनपद में पी0एम0एस0एम0ए0 के दौरान श्रेष्ठ सेवायें देने वाले प्राईवेट तथा राजकीय सेवा के चिकित्सकों को सम्मानित किया जाये। बैठकों हेतु निर्धारित धनराशि से प्रशस्ति पत्र एवं प्रतिक चिन्ह वितरण भी किया जा सकता है। बैठकों के कार्यवृत्त रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखे जायें। ए0सी0एम0ओ0 आर0सी0एच/पी0एम0एस0एम0ए0 नोडल इस हेतु उत्तरदायी होगें।

<u>2–प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में योगदान देने वाले प्राइवेट चिकित्सकों हेतु मोबिलिटी –</u>

पी0एम0एस0एम0ए0 के दौरान पोर्टल पर पंजीकृत, स्वयं सेवी प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा **ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों पर योगदान देने हेतु रू0 1000/–प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस** मोबिलिटी की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक चिकित्सक को आवागमन हेतु स्वयं के साधन का प्रयोग करना होगा। ग्रामीण चिकित्सा इकाई द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित नही है। प्रत्येक योगदान के लिये एक मुश्त रू0 1000/– की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 द्वारा हस्तान्तारित की जायेगी। **<u>यह धनराशि नगरीय क्षेत्र में योगदान देने वाले चिकित्सकों को देय नही होगी।</u>**

<u>3–प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर आयी गर्भवती महिलाओं हेतु जल–पान की व्यवस्था</u>

पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में अपना चेक–अप कराने आने वाली गर्भवती महिलाओं को 6–8 घण्टे अस्पताल में व्यतीत करने पड़ते है। इसको ध्यान में रखकर गर्भवती महिलाओं के लिये पेयजल एवं अल्पाहार उपलब्ध कराने हेतु प्राविधान किया गया है। प्रत्येक जनपद की जनपद व ब्लॉक स्तरीय इकाइयों हेतु एकमुश्त रू0 2,000/–प्रति इकाई प्रति माह पी0एम0एस0एम0ए0 अभियान की दर से धनराशि की व्यवस्था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत डाइट के मद में अलग से एफ0एम0आर0 कोड 1.1.1.2 में व्यवस्था की गई है। अल्पाहार में प्रसूताओं को दी जा रही जे0एस0एस0के0 निःशुल्क डाइट के दिशा–निर्देश के अनुसार उसी भांति फल एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ का वितरण सुनिश्चित किया जाये। नये इनोवेशन के तहत मॉडल पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक पर आयी हुई गर्भवती महिलाओं को दोपहर का भोजन जे0एस0एस0के0 डाइट से दिया जायेगा।

<u>4–गर्भवती महिलाओं हेतु पी0पी0पी0 मोड से अल्ट्रासाउण्ड की जाँच की व्यवस्था–</u>

वर्तमान में ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों पर अल्ट्रासाउण्ड व्यवस्था न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को जनपद स्तरीय इकाइयों पर सन्दर्भित करना पड़ता है। इस कारण काफी अधिक संख्या में गर्भवती महिलायें अल्ट्रासाउण्ड सुविधा से वंचित रह जाती है उपर्युक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2017–18 से गर्भवती महिलाओं को पी0एम0एस0एम0ए0 दिवसों पर एन्टीनेटल केयर के दौरान अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा से आच्छादित करने के लिये 40 जनपदों के चयनित उच्च प्रसव भार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पी0पी0पी0 मोड से अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था प्रारम्भ की गई थी जिसे इस वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश के समस्त जनपदों में विस्तारित किया जा रहा है। इस हेतु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क डाइग्नोस्टिक के मद में अलग से एफ0एम0आर0 कोड 6.4.3 में व्यवस्था की गई है।

<u>5– मॉडल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक की व्यवस्था</u>

प्रचार प्रसार व मानव संसाधन प्रबंधनः

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के मॉडल क्लीनिक के विषय वस्तु को आई0एम0ए0, रोटरी, फॉग्सी, लॉयन्स तथा अन्य समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधि,सेवा प्रदाताओं, स्वास्थ्य इकाई के स्टाफ ए0एन0एम0 व आशा के साथ साझा किया जाये।
- सेवा प्रदाताओं व स्वास्थ्य इकाई के स्टाफ को कार्य दायित्व सौपा जाय।

- आशा के माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं को वी0एच0एन0डी0के दौरान सूचित व पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।
- स्वास्थ्य इकाई स्तर पर मॉडल पी0एम0एस0एम0ए0क्लीनिक की साज सज्जा ऐसी कि जाय की पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस विशेष दिवस के रूप में दिखे।

मॉडल क्लीनिक की व्यवस्था :

- ओ0पी0डी0 पंजीकरण कक्ष में गर्भवती महिलाओं को बता दिया जाय उन्हें किस विशेष कक्ष/पी0एम0एस0एम0ए0क्लीनिक में जाना है।
- मॉडल पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक के स्वागत कक्ष में सर्वप्रथम उन्के एम0 सी 0पी0 कार्ड को जॉच लिए जाये एवं यदि एम0 सी0 पी0 कार्ड न बना हो तो वहीं बना दिया जाय।
- यदि एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर पंजीकरण न हुआ हो तो पोर्टल पर पंजीकरण किया जाय।
- ए0एन0सी0 रजिस्टर पर अंकन किया जाय।
- इसके बाद वहीं उन्के वजन एंव ब्लड प्रेशर की जांच की जाय।
- खून एवं पेशाब के नमूनें एकत्र कियें जायें एवं जांच के लिए लैब भेजा जाय।
- अल्ट्रासाउन्ड जांच की जाय।
- इसके बाद जांच की रिपोर्ट आने तक के अन्तराल के दौरान गर्भवती महिलाओं की परामर्शदाता दृारा काउन्सलिंग की जाय एवं सूक्ष्म जलपान दिया जाय।
- सारी जांच की रिपोर्ट के साथ गर्भवती महिला को स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के पास विस्तृत जांच के लिए भेजा जाय।
- स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक दृारा जांच के उपरान्त पुनः विशेष कक्ष में ही दवाईयो का वितरण किया जाय एवं जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं के मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड पर लाल रंग की बिन्दी/एच0आर0पी0 मोहर लगायी जायें। जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं को परामर्शदाता दृारा जोखिम की विशेष काउन्सलिंग भी कि जाय।

इस हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत एकमुश्त रू0 2,000/-प्रति मॉडल पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक प्रति माह की दर से धनराशि की व्यवस्था की गई है।

6-I Pledge for 9 Achievers अवार्ड वितरण समारोह की व्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत उत्कृष्ट सेवा एवं योगदान हेतु राज्य व जनपद स्तर पर I Pledge for 9 Achievers Awards का सलाना आयोजन 09 मार्च 2019 पी0एम0एस0एम0ए0क्लीनिक के तुरन्त बाद दिया जाना है। इस हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत एकमुश्त रू0 40,000/-प्रति जनपद की दर से धनराशि की व्यवस्था की गई है।

पर्यवेक्षण व अनुश्रवणः-

1. कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी, जनपदीय नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाय। पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल पर अपलोड भी अवश्य किया जाय।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी व अपर मुख्य चिकित्साधिकारी अनुश्रवण आख्या का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

उपर्युक्त हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 की राज्य कार्ययोजना में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रेषित आर0ओ0पी0 में कुल रू0 1,52,50,000/-(रू0 एक करोड़ बावन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसमें से रू0-54,50,000/-(रू0चौवन लाख पचास हजार मात्र)की धनराशि जनपदों को संलग्न गतिविधिवार

फांट के अनुसार अवमुक्त किया जा चुका है। धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / पी0एम0एस0एम0ए0 / 134 / 2018–19 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महानिदेशक–परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4 समस्त मुख्य चि0 अधीक्षिका / अधीक्षक, जिला म0 चिकित्सालय / जिला सं0 चिकित्सालय, उ0प्र0।
5 वित्त नियंत्रक–एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6 समस्त महाप्रबन्धक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ।
7 महाप्रबंधक एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को upnhm की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0,उ0प्र0।
9 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(डॉ0 स्वपना दास)
महाप्रबन्धक,मातृ स्वा0

संलग्नक

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
हर माह, 9 तारीख

District Level Awards

SL	Sub Category	Awardee	Criteria	Number of Awards		Verifi cation Criteria	Budget
1	Team	Government teams from health care facilities	Facilities providing Full Complement of Services every month	All facilities who fit the eligibility criteria	1	Verifi cation by District Quality Assurance Committees (DQACs)	1,000
2	Team	Government teams from health care facilities	Proportion of High Risk Pregnancies Identified	All facilities who fit the eligibility criteria	1	Identifi cation of 15%- 25% high risk pregnancies. Data Source: Monitoring Reports Submitted by facilities to Districts as per monitoring format2 in the fi rst year. Subsequently data available on the RCH portal would be utilized.	1,000
3	Individual	Private Practitioners	Private Practitioners volunteering services for all 12 months	All practitioners who fit the eligibility criteria	1	Data Source: PMSMA Portal	1,000
4	Individual	Private Practitioners	Private Practitioner providing services to maximum number of pregnant women	Top 3	3	Data Source: PMSMA Portal	3,000
5	Special	Organizations: Professional Associations- IMA & FoGSI,Radiologist Association, Rotary, Lions Clubs, NGOs,CBOs, FBOs etc.	Providing exemplary support for PMSMA	All organizations which fit the eligibility criteria	5	To be decided by District PMSMA Committee	5,000
6	Special	Any individual serving in hard to reach/ tribal areas requiring special recognition	Providing exemplary support for PMSMA (as decided by the District PMSMA Committee)	All individuals which fit the eligibility criteria	1		1,000
			Extra if any		3		3,000
		Budget for Award function					25,000
			Total		**15**		**40,000**

in 75 Distirct **Rs. 30,00,000**

State Level Awards

S. L	Sub Category	Awardee	Criteria	Number of Awards		Verification Criteria	Budget
1	Team	Districts	Districts with Maximum number of facilities providing Full Complement of Services every month4 i) Overall ii) HPDs	1-3 districts depending upon Size of State	5	Based on per verifi cation of DQACs	5,000
2	Team	Districts	Districts with maximum proportion of pregnant women reached5 i) Overall ii) HPDs	1-3 districts depending upon Size of State	5	Based on information available in PMSMA Portal	5,000
3	Team	Districts	Proportion of High Risk Pregnancies Identifi ed	1-3 districts depending upon Size of State	5	Identifi cation of 15%- 25% high risk pregnancies. Data Source: PMSMA Portal6 in the first year. Subsequently data available on the RCH portal would be utilized.	5,000
4	Individual	Private Practitioners	Private Practitioner providing services to the maximum number of pregnant women i) Overall – At District Hospitals/Medical Colleges ii) Overall – At SDHs and below iii) HPDs – At District Hospitals/Medical Colleges iv) HPDs – At SDHs and below	Top 3 from each category	3	Source: PMSMA Portal	3,000
5	Individual	Private Practitioners	Private Practitioners volunteering services i) For all 12 months ii) For at least 8 months in HPDs	All practitioners who fit the eligibility criteria	3	Source: PMSMA Portal	3,000
6	Special	Organizations: Professional Associations such as IMA & FoGSI,Radiologists Associations Rotary, Lions Clubs,NGOs, CBOs, FBOs etc.	Providing exemplary support for PMSMA	All organizations / individuals which fi t the eligibility criteria	5	As decided by the State PMSMA Committee (Data available in PMSMA portal on number of volunteers by each organization may also be used)	5,000
			Extra if any		4		4,000
			Budget for Award function			Rs.2.20,000	
						Rs.2,50,000	

Pradhan Mantri Surakshit Matritwa Abhiyan, (PMSMA) DA					
SL. No.	District	Physical Target			
		1.1.1.1			
		Number of Block	DWH, DCH and UPHC	Total Number of Facility Centre	Number of Volunteer Doctor
1	Agra	15	1	16	4
2	Aligarh	12	2	14	4
3	Allahabad	20	7	27	4
4	Ambedkar Nagar	9	1	10	4
5	Amethi	13	-	13	4
6	Amroha (JP Nagar)	6	1	7	4
7	Auraiya	7	1	8	4
8	Azamgarh	22	1	23	4
9	Baghpat	6	1	7	4
10	Bahraich	14	1	15	4
11	Ballia	17	1	18	4
12	Balrampur	9	2	11	4
13	Banda	8	1	9	4
14	Barabanki	15	1	16	4
15	Bareilly	15	1	16	4
16	Basti	14	1	15	4
17	Bijnor	11	1	12	4
18	Budaun	15	1	16	4
19	Bulandshahar	16	1	17	4
20	Chandauli	9	3	12	4
21	Chitrakoot	5	2	7	4
22	Deoria	16	1	17	4
23	Etah	8	1	9	4
24	Etawah	8	1	9	4
25	Faizabad	11	1	12	4
26	Farukkhabad	7	1	8	4
27	Fatehpur	13	1	14	4
28	Firozabad	9	3	12	4
29	Nagar	4	3	7	4
30	Ghaziabad	4	2	6	4
31	Ghazipur	16	1	17	4

[illegible] में सभी लाभार्थियों को निःशुल्क औषधि एवं डाइग्नोस्टिक सेवायें प्रदान करने के दृष्टिगत चिकित्सालय में ए0एन0सी0 सर्विसेस दे रहे चिकित्सकों को स्वास्थ्य इकाई पर उपलब्ध औषधियों एवं डाइग्नोस्टिक सेवाओं की विस्तृत लिस्ट उपलब्ध करा दी जाये। विशेष परिस्थिति में आवश्यक टेस्ट के लिये जनपद स्तरीय चिकित्सालय में उपलब्ध निःशुल्क डाइग्नोस्टिक सेवाओं की सूची उपलब्ध करा दी जाये ताकि बाहर से औषधि एवं जाँच हेतु न लिखा जाये। केवल आवश्यकतानुसार विशेष निःशुल्क जाँच हेतु जिला स्तरीय इकाई पर संदर्भित किया जाये।

7. प्रथम बार प्रसव पूर्व जाँच कराने आयी गर्भवती महिला का एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर पंजीकरण उसी दिन करना सुनिश्चित करें।

Pradhan Mantri Surakshit Matritwa Abhiyan, (PMSMA) DAP sheet for year 2018-19

SL. No.	District	Physical Target 1.1.1.1				PMSMA Budget Sheet 2018-19 1.1.1.1						Total PMSMA Budget for year 2018-19 for the districts
		Number of Block	DWH, DCH and UPHC	Total Number of Facility Centre	Number of Volunteer Doctor	District level meeting (Quartrly) @ Rs.3000x4	IEC (Handbill) Rs.2000 per facility	Facility level meeting (Quarterly) Rs.1000x4	Mobility for volunteer Doctor in rural areas	PMSMA 'I Pledge For 9'-Physical Awards	Model PMSMA Clinic	
1	Agra	15	1	16	4	12,000	32,000	64,000	48,000	40,000	24,000	220,000
2	Aligarh	12	2	14	4	12,000	28,000	56,000	48,000	40,000	24,000	208,000
3	Allahabad	20	7	27	4	12,000	54,000	108,000	48,000	40,000	24,000	286,000
4	Ambedkar Nagar	9	1	10	4	12,000	20,000	40,000	48,000	40,000	24,000	184,000
5	Amethi	13	-	13	4	12,000	26,000	52,000	48,000	40,000	24,000	202,000
6	Amroha (JP Nagar)	6	1	7	4	12,000	14,000	28,000	48,000	40,000	24,000	166,000
7	Auraiya	7	1	8	4	12,000	16,000	32,000	48,000	40,000	24,000	172,000
8	Azamgarh	22	1	23	4	12,000	46,000	92,000	48,000	40,000	24,000	262,000
9	Baghpat	6	1	7	4	12,000	14,000	28,000	48,000	40,000	24,000	166,000
10	Bahraich	14	1	15	4	12,000	30,000	60,000	48,000	40,000	24,000	214,000
11	Ballia	17	1	18	4	12,000	36,000	72,000	48,000	40,000	24,000	232,000
12	Balrampur	9	2	11	4	12,000	22,000	44,000	48,000	40,000	24,000	190,000
13	Banda	8	1	9	4	12,000	18,000	36,000	48,000	40,000	24,000	178,000
14	Barabanki	15	1	16	4	12,000	32,000	64,000	48,000	40,000	24,000	220,000
15	Bareilly	15	1	16	4	12,000	32,000	64,000	48,000	40,000	24,000	220,000
16	Basti	14	1	15	4	12,000	30,000	60,000	48,000	40,000	24,000	214,000
17	Bijnor	11	1	12	4	12,000	24,000	48,000	48,000	40,000	24,000	196,000
18	Budaun	15	1	16	4	12,000	32,000	64,000	48,000	40,000	24,000	220,000
19	Bulandshahar	16	1	17	4	12,000	34,000	68,000	48,000	40,000	24,000	226,000
20	Chandauli	9	3	12	4	12,000	24,000	48,000	48,000	40,000	24,000	196,000
21	Chitrakoot	5	2	7	4	12,000	14,000	28,000	48,000	40,000	24,000	166,000
22	Deoria	16	1	17	4	12,000	34,000	68,000	48,000	40,000	24,000	226,000
23	Etah	8	1	9	4	12,000	18,000	36,000	48,000	40,000	24,000	178,000
24	Etawah	8	1	9	4	12,000	18,000	36,000	48,000	40,000	24,000	178,000
25	Faizabad	11	1	12	4	12,000	24,000	48,000	48,000	40,000	24,000	196,000
26	Farukkhabad	7	1	8	4	12,000	16,000	32,000	48,000	40,000	24,000	172,000
27	Fatehpur	13	1	14	4	12,000	28,000	56,000	48,000	40,000	24,000	208,000
28	Firozabad	9	3	12	4	12,000	24,000	48,000	48,000	40,000	24,000	196,000
29	Nagar	4	3	7	4	12,000	14,000	28,000	48,000	40,000	24,000	166,000
30	Ghaziabad	4	2	6	4	12,000	12,000	24,000	48,000	40,000	24,000	160,000
31	Ghazipur	16	1	17	4	12,000	34,000	68,000	48,000	40,000	24,000	226,000

32	Gonda	16	1	17	4	12,000	34,000	68,000	48,000	40,000	24,000	226,000
33	Gorakhpur	19	2	21	4	12,000	42,000	84,000	48,000	40,000	24,000	250,000
34	Hamirpur	7	1	8	4	12,000	16,000	32,000	48,000	40,000	24,000	172,000
35	Hapur	4	-	4	4	12,000	8,000	16,000	48,000	40,000	24,000	148,000
36	Hardoi	19	1	20	4	12,000	40,000	80,000	48,000	40,000	24,000	244,000
37	Hathras	7	1	8	4	12,000	16,000	32,000	48,000	40,000	24,000	172,000
38	Jalaun	9	1	10	4	12,000	20,000	40,000	48,000	40,000	24,000	184,000
39	Jaunpur	21	1	22	4	12,000	44,000	88,000	48,000	40,000	24,000	256,000
40	Jhansi	8	4	12	4	12,000	24,000	48,000	48,000	40,000	24,000	196,000
41	Kannauj	8	1	9	4	12,000	18,000	36,000	48,000	40,000	24,000	178,000
42	Kanpur Dehat	10	1	11	4	12,000	22,000	44,000	48,000	40,000	24,000	190,000
43	Kanpur Nagar	10	3	13	4	12,000	26,000	52,000	48,000	40,000	24,000	202,000
44	Kasganj	7	1	8	4	12,000	16,000	32,000	48,000	40,000	24,000	172,000
45	Kaushambi	8	1	9	4	12,000	18,000	36,000	48,000	40,000	24,000	178,000
46	Kushi Nagar	14	1	15	4	12,000	30,000	60,000	48,000	40,000	24,000	214,000
47	Lakhimpur Kheri	15	1	16	4	12,000	32,000	64,000	48,000	40,000	24,000	220,000
48	Lalitpur	6	1	7	4	12,000	14,000	28,000	48,000	40,000	24,000	166,000
49	Lucknow	8	18	26	4	12,000	52,000	104,000	48,000	40,000	24,000	280,000
50	Maharajganj	12	1	13	4	12,000	26,000	52,000	48,000	40,000	24,000	202,000
51	Mahoba	4	2	6	4	12,000	12,000	24,000	48,000	40,000	24,000	160,000
52	Mainpuri	9	1	10	4	12,000	20,000	40,000	48,000	40,000	24,000	184,000
53	Mathura	10	2	12	4	12,000	24,000	48,000	48,000	40,000	24,000	196,000
54	MAU	9	1	10	4	12,000	20,000	40,000	48,000	40,000	24,000	184,000
55	Meerut	12	1	13	4	12,000	26,000	52,000	48,000	40,000	24,000	202,000
56	Mirzapur	12	1	13	4	12,000	26,000	52,000	48,000	40,000	24,000	202,000
57	Moradabad	8	1	9	4	12,000	18,000	36,000	48,000	40,000	24,000	178,000
58	Muzaffar Nagar	9	1	10	4	12,000	20,000	40,000	48,000	40,000	24,000	184,000
59	Pilibhit	7	1	8	4	12,000	16,000	32,000	48,000	40,000	24,000	172,000
60	Pratapgarh	17	1	18	4	12,000	36,000	72,000	48,000	40,000	24,000	232,000
61	Raebareli	18	1	19	4	12,000	38,000	76,000	48,000	40,000	24,000	238,000
62	Rampur	6	3	9	4	12,000	18,000	36,000	48,000	40,000	24,000	178,000
63	Saharanpur	11	5	16	4	12,000	32,000	64,000	48,000	40,000	24,000	220,000
64	Sambhal	8	2	10	4	12,000	20,000	40,000	48,000	40,000	24,000	184,000
65	Sant Kabir Nagar	9	1	10	4	12,000	20,000	40,000	48,000	40,000	24,000	184,000
66	Sant Ravidas Nagar	6	2	8	4	12,000	16,000	32,000	48,000	40,000	24,000	172,000
67	Shahjahanpur	15	1	16	4	12,000	32,000	64,000	48,000	40,000	24,000	220,000
68	Shamali	5	1	6	4	12,000	12,000	24,000	48,000	40,000	24,000	160,000
69	Shravasti	5	1	6	4	12,000	12,000	24,000	48,000	40,000	24,000	160,000

70	**Siddharth Nagar**	14	2	16	4	12,000	32,000	64,000	48,000	40,000	24,000	220,000
71	**Sitapur**	19	1	20	4	12,000	40,000	80,000	48,000	40,000	24,000	244,000
72	**Sonbhadra**	8	2	10	4	12,000	20,000	40,000	48,000	40,000	24,000	184,000
73	**Sultanpur**	13	1	14	4	12,000	28,000	56,000	48,000	40,000	24,000	208,000
74	**Unnao**	16	1	17	4	12,000	34,000	68,000	48,000	40,000	24,000	226,000
75	**Varanasi**	8	7	15	4	12,000	30,000	60,000	48,000	40,000	24,000	214,000
	State Level :	0	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	250,000
	Total	**820**	**130**	**950**	**300**	**900,000**	**1,900,000**	**3,800,000**	**3,600,000**	**3,250,000**	**1,800,000**	**15,250,000**